उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-34/2015/997/26-3-2015-3643/2010

लखनऊः दिनांकः 01 अप्रैल 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्रीमती रेखा, पत्नी श्री दिलीप सिंह निवासी महोखर जनपद-बांदा द्वारा बेडिया अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जिला पंचायत सदस्य, बांदा के निर्वाचन 2010 में नामांकन किया गया था। श्री बलदेव सिंह व अन्य ब्यक्तियों द्वारा श्रीमती रेखा के अनुसूचित जाति बेडिया के प्रमाण पत्र की शिकायत रिर्टनिंग आफीसर, बांदा के यहां की गयी थी जिसके क्रम में तहसीलदार-बांदा द्वारा जांचोपरान्त अपने आदेश दिनांक-27-09-2010 द्वारा याची श्रीमती रेखा पत्नी दिलीप सिंह निवासी महोखरए बांदा के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या-490015 को तत्कालिक प्रभाव से दिनांक-27.09.2010 को निरस्त कर दिया गया।

2. तहसीलदार.बांदा के उक्त आदेश दिनांक.27.09.2010 के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालयए इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-60848/2010 रेखा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 05-10-2010 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया हैः.

> It appears to this Court that under the order impugned dated 27th September, 2010 the Tehsildar, Sadar, Banda has cancelled the Scheduled Caste Certificate as would be done by verification from the record by Administrative Committee under Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976. We have called upon learned Standing Counsel to make submission in this regard and we found from the submission of both learned Counsel for the petitioner and learned Standing Counsel that Tehsildar might be recommending authority but not entitled to pass such final order.
>
> Hence, the impugned order dated 27th September, 2010 is set aside. However, it is open to the Administrative Committee/competent authority to pass appropriate order in this respect.
>
> The writ petition is allowed. No order is passed as to costs.

3. मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-05-10-2010 के सन्दर्भ में जिलाधिकारीए बांदा की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय सत्यापन समिति की बैठक दिनांक-23-09-2010 को आहूत की गयी। जनपद स्तरीय सत्यापन समितिए हरदोई ने प्रकरण को राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के स्तर से निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

4. मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-05-10-2010 के क्रम में कार्मिक अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-22-14-92.का 2/1996 टी0सी0 ।।। दिनांक 05-01-1996 के प्रस्तर-2 (5) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में प्रकरण की निदेशालय पिछडा वर्ग कल्याण के स्तर पर गठित सर्तकता प्रकोष्ठ से जांच करायी गयी। निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण के पत्र दिनांक 30-10-2012 द्वारा सर्तकता प्रकोष्ठ की जांच आख्या दिनांक 25-07-2012 शासन को उपलब्ध करायी गयी।

5. प्रकरण की जांच में सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा तहसीलदारए सदरए शिकायतकर्ता श्री बलदेव सिंह एवं याची श्रीमती रेखा तथा उसकी मां राजकुवांरी उर्फ राजकुंवर 09 अन्य ब्यक्तियों का बयान लिया गया जिसमें से निम्नलिखित व्यक्तियों के बयान संक्षिप्त रूप में निम्नवत् हैः.

(1) श्री प्रमोद कुमार द्विवेदीए तहसीलदार सदर द्वारा बताया गया कि श्रीमती रेखा पत्नी श्री दिलीप सिंह निवासी महोखर, थाना कोतवाली देहात जनपद-बांदा को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा बेडिया अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संख्या-490015 दिनांक 06/12/1994 निर्गत किया गया था। जिसकी जांच श्री जयकरन, तत्कालीन तहसीलदारए सदर बांदा द्वारा की गयी थी। जांचोपरान्त तत्कालीन तहसीलदार के आदेश दिनांक 27/09/2011 द्वारा श्रीमती रेखा को ष्बेडियाष् अनुसूचित जाति का निर्गत प्रमाण पत्र संख्या-490015 निरस्त कर दिया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) श्री बलदेव प्रसाद वर्माए शिकायतकर्ता ने बयान मे यह कहा है कि वह वर्ष 2010 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में बेडिया जाति का कोई परिवार निवास नहीं करते हैं। बेडिया जाति अनुसूचित जाति में है अथवा नहीं उसकी उन्हे कोई जानकारी नहीं है। श्रीमती रेखा के पति श्री दिलीप सिंह स्व0 श्री गया प्रसाद उर्फ बन्दी सिंह ग्राम बीला दक्षिण कबरई के पुत्र थे एवं श्री गया प्रसाद उर्फ बन्दी सिंह सामान्य जाति (ठाकुर) थे ।

(3) याची श्रीमती रेखा ने अपने बयान में यह कहा है कि वह बेडिया जाति की सदस्य हैं इस जाति में पिता के नाम से कोई परिवार नहीं चलता है इस जाति का जीविकोपार्जन नाचने गाने एवं वैश्यावृत्ति से पूरा होता था। इसी कारण बेडिया जाति की महिलाओं से उत्पन्न सन्तान का कोई निश्चित पिता नही होता था तथा पिता के रूप में एक काल्पनिक नाम देकर प्रताप सिंह उल्लिखित किया गया था परिवार रजिस्टर में उनकी माता का नाम श्रीमती राजकुमारी उर्फ राजकुंवर दर्ज है। याची कक्षा 05 तक प्राइमरी विद्यालय बीला दक्षिण मे पढ़ी है उक्त स्कूल में माता के नाम का कोई कालम नहीं था। अतएव काल्पनिक नाम पिता के स्थान पर कोई प्रताप सिंह उल्लिखित कर दिया गया था। याची में बयान में यह भी कहा है कि प्रताप सिंह कोई मेरे पिता नही रहें हैं और न ही अपने होश में किसी पिता को देखा है और न ही माता ने बताया है कि कौन पिता थे। याची ने बयान में यह लिखा है कि यह एक मात्र संयोग है कि ग्राम बीला दक्षिणए तहसील महोबा में प्रताप सिंह पुत्र गंगा सिंह नामक व्यक्ति थे जो लगभग 15-16 वर्ष पूर्व मृत हो चुके हैं। इन प्रताप सिंह की चल अचल सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उनके पुत्र एवं पुत्रियों को प्राप्त हुयी है। यदि मेरे पिता होते तो मुझे एवं मेरे भाई व मेरी माता को उत्तराधिकार के रूप में सम्पप्ति प्राप्त होती। जबकि प्रताप सिंह पुत्र गंगा सिंह ग्राम बीला दक्षिणए तहसील महोबा तथा ग्राम जरेहटा कला तहसील,गौरिहार जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश के बड़े जमींदार व कास्तकार रहे हैं। उनकी सम्पत्ति व उत्तराधिकारी का सत्यापन किया जा सकता है इससे स्पष्ट है कि प्रताप सिंह हमारे पिता नहीं रहे हैं।

(4) याची श्रीमती रेखा की मां राजकुमारी उर्फ राजकुंवर माता गढ़ली ग्राम बिजौली थाना. जहांनाबाद जनपद फतेहपुर हाल पता.तारामुन्नी ग्राम मकरबई थाना.कबरई जिला महोबा उम्र 80 वर्ष ने पूछने पर बताया कि जब वह 18 वर्ष की थी तभी से वह तारामुन्नी की नौटंकी में आकर गांव मकरबई में आकर नांच-गाना व शारीरिक सम्बन्ध लोगो से करने लगी थी। मेरे दो लड़के कालू सिंह व सुरेश सिंह तथा दो लड़किया गीता देवी व श्रीमती रेखा पैदा हुयी थी। मै जाति की बेडिया अनुसूचित जाति की हूँ। मैं अपनी लड़की गीता की शादी बलदेव प्रसाद निवासी पारा-थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के साथ हिन्दू रीति.रिवाज से की गयी है। बलदेव भी बेडिया जाति के हैं। श्रीमती रेखा की शादी श्री दिलीप सिंह ग्राम महोखर तहसील जनपद बांदा के साथा किया गया है श्री दिलीप सिंह भी बेडिया जाति के हैं। मैने अपने बड़े लड़के कालू सिंह की शादी ग्राम छिनैटा थाना-चिल्ला बांदा के साथ किया गया है जो बेडिया जाति के हैं तथा छोटे लड़के सुरेश सिंह की शादी ग्राम इमलिया चैकी तहसील नौगांव थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर (मध्यप्रदेश) में की हूँ वे जाति के कलावत हैं जो अनुसूचित जाति में आती हैं। मेरा मुख्य पेशा आदमियों से शारीरिक सम्बन्ध नाजायज तरीके से बनाना तथा उनसे रूपये लेना है मुझे मालूम नही है कि मेरे बच्चे किस आदमी से पैदा हुये हैं। मै जाति की बेडिया हूँ जो अनुसूचित जाति में आते हैं मेरे पास किसान ज्योतिबही व जाति प्रमाण पत्र भी है जिसकी प्रति दे रहीं हूँ मै अनुसूचित जाति सीट से ग्राम पंचायत बीला दक्षिण से प्रधान पद के लिये चुनाव लड़ी थी किन्तु वह पराजित हो गयी थी।

(5) श्री कालू सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद-महोबा तैनाती बन्दीरक्षक जिला जेल-बांदा जो कि याची श्रीमती रेखा के भाई हैं द्वारा बयान में कहा गया है कि उनकी मां जिला फतेहपुर की मूल निवासी थीं ग्राम बीला दक्षिण के निवासी श्री स्व0 प्रताप सिंह ठाकुर की पत्नी का देहावसान हो जाने के पश्चात उन्होने उनकी मां से शादी कर लिया था उनसे 02 लड़के एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

02 लड़कियां पैदा हुयी हैं। श्री स्व0 प्रताप सिंह उनकी मां को पत्नी की तरह रखते थे। श्री कालू सिंह ने अपने बयान में याची श्रीमती रेखा पत्नी दिलीप सिंह को अपनी सगी बहन बताया है तथा श्री दिलीप सिंह भी ठाकुर जाति के हैं क्योंकि स्व0 श्री गया प्रसाद उर्फ बन्दी सिंह जो कलादेवी बेडिया जाति की महिला से शादी किये थे से उत्पन्न संतान हैं जो सामान्य जाति के अन्तर्गत आते हैं। कालू सिंह ने प्राथमिक पाठशाला बिल्ला से स्वयं तथा अपनी बहन श्रीमती रेखा की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होने तथा पिता के नाम रूप में श्री प्रताप सिंह संरक्षक के रूप में लिखे जाने का उल्लेख करते हुये बयान दिया गया है तथा यह कहा गया है कि उनकी एवं उनकी बहन बेडिया समुदाय की नहीं हैं बल्कि सामान्य जाति की ठाकुर हैं। अपने कथन के समर्थन में अपनी सेवा.पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी।

(6) श्रीमती शिवांगी पत्नी श्री सत्येन्द्र सिंह निवासी-16/25 नगर पालिका परिषद मोहल्ला रामनगर थाना-भौदहा, जनपद.हमीरपुर जो कि याची श्रीमती रेखा की पुत्री है ने अपने बयान में स्वयं को बडिया अनुसूचित जाति का होने तथा अनुसूचित जाति कोटे से स्कालरशिप प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है।

(7) श्री अशोक सिंह पुत्र स्व0श्री सुजान सिंह निवासी-बीला दक्षिण, थाना.कबरईए तहसील सदर,जनपद-महोबा तथा राजेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम महोखर-ब्लाक महोखर खुर्द बांदा ने अपने बयान में याची श्रीमती रेखा की मां का मुख्य पेशा नाच.गाना एवं अवैध शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का उल्लेख करते हुये इनके पुत्र एवं पुत्रियों की जाति बेडिया अनुसूचित जाति बतायी गयी। इसी तरह श्री राजाराम बेडिया, निवासी ग्राम पासुन थाना-सिलोलर जनपद-हमीरपुर ने अपने बयान में स्वयं के परिवार एवं याची श्रीमती रेखा एवं उसकी पुत्रियों को बेडिया अनुसूचित जाति का सदस्य बताया गया है।

(8) श्री शिवप्रसाद प्रजापति निवासी ग्राम पंचायत महोखर जनपद.बांदा द्वारा अपने बयान में याची श्रीमती रेखा देवी का मां राजकुंवर उर्फ राजकुमारी को स्व0 प्रताप सिंह की दूसरी पत्नी के रूप में होना बताया गया है एवं यह उल्लेख किया गया है कि उनके गांव महोखर में बेडिया जाति के लोग नही रहते है।

(9). श्री कालीदीन पुत्र स्व0 श्री अगनुवा निवासी ग्राम-मनकी का पुरवा मजरा जमुनीपुर पोस्ट महोखर जनपद.बांदा ने अपने बयान में बताया कि मेरे पंचायत क्षेत्र से श्री दिलीप सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा सिंह सन 2000 से 2005 तक अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से ग्राम प्रधान का चुनाव लड कर प्रधान पद पर पदस्थ थी। सन् 2010 में जिला पंचायत सदस्य सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थीए जिस पर श्रीमती रेखा ने बेडिया जाति अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगा कर नामांकन किया था। जिसका विरोध बलदेव प्रसाद वर्मा आदि लोगो ने किया था। जिसकी जांच रेखा के मायके से करवाया गया, परन्तु बेडिया जाति साबित न होने पर नामांकन रदद् कर दिया गया था। रेखा पत्नी श्री दिलीप सिंह निवासी ग्राम महोखर जनपद.बांदा जाति के ठाकुर है। बेडिया जाति के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है।

6. सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जांच के दौरान प्राप्त अभिलेखों एवं व्यक्तियों द्वारा दिये गये बयान तथा स्थलीय पूछताछ के आधार पर साक्ष्य विश्लेषण से यह स्थिति प्रकाश में आयी कि प्रकरण की जांच के दौरान प्राप्त हुये अभिलेखों तथा ग्रामीणों के बयान से यह पाया गया कि याची श्रीमती रेखा पत्नी दिलीप सिंह निवासी ग्रामए महोखर तहसील, सदर जनपद-बांदा की माता श्रीमती राजकुमारी उर्फ राजकुवंर बेडिया अनुसूचित जाति की थी और स्व0 प्रताप सिंह जाति क्षत्रीय (ठाकुर) के साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगी थीं। श्रीमती राजकुमारी उर्फ राजकुंवर से जो बच्चे उत्पन्न हुये उनमें से श्रीमती रेखा व उसका सगा भाई कालू सिंह भी है जो प्रताप सिंह से पैदा हुयें हैं। श्रीमती रेखा कक्षा 5 तक प्राथमिक पाठशाला.बीला दक्षिण जिला-महोबा से पास हुयी है। विद्यालय कक्षा 5 के अभिलेखानुसार श्रीमती रेखा के पिता के नाम के कालम में स्व0 प्रताप सिंह जाति क्षत्रीय प्रदर्शित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है। इसके सगे भाई कालू सिंह पुत्र प्रताप सिंह जो जिला जेल-बांदा में बन्दी रक्षक के पद पर कार्यरत हैं उसकी सेवापुस्तिका में जाति के कालम में ठाकुर (हिन्दू) लिखा है। श्रीमती रेखा की माता श्रीमती राजकुमारी उर्फ राजकुंवर की जाति बेडिया और रिश्तेदारियां भी बेडिया जाति में होने का समर्थन होता है परन्तु यह भी सत्य है कि श्रीमती रेखा व उसका भाई कालू सिंह स्व0 प्रताप सिंह जाति क्षत्रीय से पैदा हुये हैं इसी आधार पर तत्कालीन तहसीलदार सदर बांदा द्वारा दिनांक-27/09/2010 द्वारा याची श्रीमती रेखा पत्नी श्री दिलीप सिंह का बेडिया अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या- 490015 दिनांक-06/12/1994 निरस्त कर दिया गया था। श्रीमती रेखा का विवाह श्री दिलीप सिंह के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुआ है, जिनकी जाति स्वयं में विवादित है। श्री दिलीप सिंह के पिता स्व0 गयाप्रसाद सिंह उर्फ बन्दी सिंह भी ठाकुर (सामान्य) जाति के थे। इस प्रकार श्रीमती रेखा के जाति का निर्धारण इनके पिता स्व0 प्रताप सिंह जाति ठाकुर के साथ किया जाय तो श्रीमती रेखा की जाति क्षत्रीय (ठाकुर) सामान्य जाति ही होगी। परन्तु यदि श्रीमती रेखा की जाति का निर्धारण यदि उनकी माता श्रीमती राजकुमारी उर्फ राजकुंवर के साथ किया जाय तो श्रीमती रेखा की जाति बेडिया हो सकती है जिसे अर्धसत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

7. सतर्कता प्रकोष्ठ की उक्त जांच आख्या दिनांक 25/07/2012 के सन्दर्भ में प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक दिनांक 11/03/2015 को आहूत की गयी। उक्त बैठक में याची श्रीमती रेखा पत्नी श्री दिलीप सिंह एवं शिकायतकर्ता श्री बलदेव प्रसाद निवासी बांदा को बैठक की सूचना देते हुये उक्त तिथि को आहूत बैठक में अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया था। श्रीमती रेखा उक्त तिथि को राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हुयी। शिकयातकर्ता श्री बलदेव प्रसाद ग्राम-महोखर जनपद-बांदा उपस्थित नही हुये।

8. याची श्रीमती रेखा द्वारा स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष दिनांक 06/10/1994 को अपने पक्ष में बेडिया अनुसूचित जाति का निर्गत प्रमाण-पत्र संख्या-4900154, अपनी माता राजकुंवर को बेडिया अनुसूचित जाति का निर्गत प्रमाण-पत्र दिनांक 26/05/2008 श्रीमती राजकुमारी ग्राम बीला दक्षिणए कबरई तहसील महोबाए जनपद-हमीरपुर के किसानबही/खतौनी प्रमाण-पत्र दिनांक 17/07/2012, परिवार रजिस्टर की नकल दिनांक 12/02/2012, याची के पति श्री दिलीप सिंह के बेडिया अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र दिनांक 18/04/2000, याची ने अपने दमाद श्री सत्येन्द्र सिंहए ग्राम-पासुन, तहसील मौदहा, जनपद-हमीरपुर को बेडिया अनुसूचित जाति का निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 21/09/2010, अपने नन्दोई श्री सुजीत क्षारी तहसील अम्बाहं जिला मुरैना, मध्य प्रदेश को दिनांक को बेडिया अनुसूचित जाति का निर्गत प्रमाण-पत्र अपनी सांस श्रीमती कलादेवी के नाम मकान की रजिस्ट्री की छायाप्रतिए अपने सगे जीजा श्री बलदेव प्रसादए निवासी-ग्राम पागरैपुरवा जनपद-हमीरपुर को निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या-248 दिनांक 04/08/1975, अपनी भाभी श्रीमती मीरा देवी एवं सगी भतीजी कुमारी अन्जु को निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

9. अतएव प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के परिशीलनोपरान्त राज्य स्तरीय स्क्रूरटनी कमेटी अपने विवेचन में यह पाती है कि श्रीमती रेखा पत्नी दिलीप सिंह निवासी ग्रामए महोखर तहसील, सदर जनपद-बांदा की माता राजकुमारी उर्फ राजकुवंर बेडिया अनुसूचित जाति की थी उनका नाचने गाने का पेशा था। याची की मां राजकुमारी उर्फ राजकुवंर स्व0 प्रताप सिंह जाति क्षत्रीय (ठाकुर) के साथ पत्नी के रूप में रहने लगी थीं। राजकुमारी का स्व0 प्रताप सिंह से शादी किये जाने तथा उनकी विधिक रूप में पत्नी होने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नही हुआ है। श्रीमती राजकुमारी उर्फ राजकुंवर से जो बच्चे उत्पन्न हुये उनमें से याची श्रीमती रेखा व उसका सगा भाई कालू सिंह भी है। श्रीमती रेखा की जाति क्षत्रिय (ठाकुर) सामान्य वर्ग का न होने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि स्व0 श्री प्रताप सिंह जाति क्षत्रिय (ठाकुर) याची के यदि पिता होते तो उत्तराधिकार में याची एवं उसके भाई को वारिसान के रूप में जमीन-जायदाद में हिस्सेदारी प्राप्त होती, किन्तु स्व0 प्रताप सिंह की खतौनी संख्या-102 दिनांक-12/07/1994 में स्व0 प्रताप सिंह ग्राम-बीला दक्षिण, तहसील व जनपद महोबा के नाम जमीन खसरा न0.326,510 एवं 528 में वारिसान के रूप में श्रीराम सजीवन सिंह, श्री रामराज सिंह व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

श्री रामगोपाल सिंह पुत्रगण स्व0 प्रताप सिंह का नाम दर्ज है। उक्त से स्पष्ट है कि श्रीमती रेखा एवं उसके भाई श्री कालू सिंह, स्व0 प्रताप सिंह के वारिस पुत्र एवं पुत्री नही है। याची श्रीमती रेखा का विवाह श्री दिलीप सिंह बेडिया अनुसूचित जाति के संग हुआ है तथा अभिलेखीय साक्ष्यों से यह पुष्टि होती है कि श्रीमती रेखा पत्नी श्री दिलीप सिंह की समस्त रिश्तेदारियां बेडिया अनुसूचित जाति में है।

10. अतएव उपरोक्त सम्यक् विवेचन के उपरान्त राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि श्रीमती रेखा पत्नी श्री दिलीप सिंह निवासीए ग्राम महोखर, हालमुकाम मर्दननाका, तहसील व जनपद-बांदा बेडिया अनुसूचित जाति की सदस्य है। तदनुसार याची का प्रत्यावेदन दिनांक-19/01/2011 एवं दिनांक 26/02/2014 उपरोक्तानुसार एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

एम0पी सिंह उपनिदेशक, प्रतिनिधि निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ	केदार नाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0 शासन

<u>पृ0संख्या-34/2015/997 (1) 26.3.2015 तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानए उ0प्र0, लखनऊ।

3- जिलाधिकारी, बांदा।

4- श्रीमती रेखा पत्नी श्री दिलीप सिंह निवासी, ग्राम महोखर, हालमुकाम मर्दननाका, तहसील व जनपद बांदा।

5- गार्ड फाईल/इन्टारनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।